रजि. न. MPHIN / 2007 / 22179

बरली की दुनिया

बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान इन्दौर की मासिक समाचार पत्रिका

"मानव जाति एक पक्षी के समान है, जिसके दो पंख हैं, एक पुरुष दूसरा स्त्री। जब तक दोनों पंख मजबूत न होंगे, एक सांझी शक्ति के द्वारा हिलाए न जाएंगे, तब तक पक्षी की आकाश में उड़ान असम्भव है।"

वर्ष–4 अंक 37 मार्च 2010 मूल्यः 5रू.

समान अधिकार, समान अवसर–सभी की प्रगति

हमारे देश के संविधान ने हर महिला–पुरूष को समान अधिकार दिए है चाहे वह कोई भी जाति के हों, कोई भी धर्म को मानते हों या कोई भी भाषा बोलते हों। लेकिन सच यह है कि आज भी ज्यादातर महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिले है इसलिए वे अभी भी बहुत ही पीछे है। बहुत सी महिलाओं को तो अपने अधिकारों की जानकारी भी नहीं है। उन्हें पता नहीं है कि अपने अधिकार क्यों, कैसें और कहां से लेने है। समान अधिकार और समान अवसर एक–दूसरे से जुड़े हुए विषय है। समानता का मतलब यहाँ महिला–पुरूष में समानता है। जब महिलाओं को परिवार, समाज व देश में समान अवसर और समान अधिकार मिलेंगे तभी हमारे देश में सभी लोगों की प्रगति होगी। महिलाओं की परिवार, समाज व देश में पुरूषों के समान स्थिती कैसी है? उन्हें समानता के अधिकार व अवसर मिलते हैं या नहीं? उन्हें समानता मिलनी क्यों जरूरी है? समान अवसर व समान अधिकार कैसे मिलेगे? महिलाओं को समान अधिकार व अवसर प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमता व योग्यता कैसे बढ़ानी होगी? इन्हीं प्रश्नों से जुड़ी कुछ जानकारियाँ लेकर बरली की दुनिया का यह अंक आपके पास आ रहा हैं। आशा है आप पढ़ेंगे और सभी महिलाओं और पुरूषों को यह बात समझ में आएगी कि महिलाओं को समानता मिलने में सभी की भलाई है। तब ही हमारे देश की सही प्रगति होगी।

परिवार में महिलाओं की स्थिती

महिलाओं के अधिकारों व अवसरों की समानता परिवार से शुरू होती है। लेकिन आदिवासी व ग्रामीण महिलाओं के जीवन को नजदीक से देखें तो पता चलता है कि वह अभी इस समानता से बहुत दूर है। चाहे परिवार में हो या समाज में हो या गाँव में, उन्हें रहन–सहन, खान–पान, लेन–देन, कहीं हाट–बाजार में जाना–आना हो या किसी की शादी–ब्याह करना हो या जमीन–जायदाद के मामले हो, महिलाओं को निर्णय लेने के अधिकार तो दूर वह इनके बारे में सोच भी नहीं सकती। क्योंकि बचपन से जवानी तक माँ–बाप, आस–पड़ोस, और समाज के बंधन में रहती है। शादी के बाद पति व ससुराल वाले और बुढ़ापे में बेटे–बहू व पोते के बंधन में रहती है। देखा जाय तो उसकी पूरी जिन्दगी बंधनों में बंध कर ही निकल जाती है। कई लोग तो महिलाओं के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते है। उसे गाली बकते हैं, मारते है और कभी–कभी तो ऐसा व्यवहार भी करते है जैसे

उसे खरीद कर लाए है या महिला उनके उपयोग व उपभोग के लिए है। उनकी सोच और समझ में महिला सिर्फ बच्चे पैदा करने, उन्हें पालने और बड़े करने के लिए है। हर परिवार में महिला माँ, बहन, बेटी, पत्नी, बहू के रूप में महिला सभी की सेवा करती हैं। वे सभी से रिश्ता बनाकर रखती हैं और परिवार के हर दुख का मुकाबला करती हैं। वे सबकी सुनती हैं, सबको खुश और सुखी रखने की चिंता में अपना पूरा जीवन लगा देती हैं। ज्यादातर देखने में आता है कि माता–पिता काम और व्यवहार में बेटी और बेटे में बचपन से खाने–पीने, पहनने में भेदभाव करते हैं। लड़कों को अच्छा खाना खिलाते है और लड़की को जैसा हो वैसा दे देते हैं। लड़के को पढ़ने भेजते है, लड़की घर का और खेत में सारा काम करती है। लड़की को ग्वाल भेजते है, लकड़ी लेने भेजते है, पानी भरना हैं, सुबह तीन–चार बजे उठकर घट्टी चलाना, खाना बनाना और परोसना, कपड़े धोना, परिवार में बीमार और जानवर सभी की देखभाल करना सभी उसी के काम है। यहाँ तक की लड़के–लड़कियों के खिलौनों में भी भेदभाव होता है। लड़की के लिए गुड़िया और लड़को को कार, क्रिकेट जैसे खिलौने लाकर देते है। लड़के को उसकी इच्छानुसार कपड़े लाकर देते है लड़की के पास तो वही लुगड़ा और घाघरा, ज्यादातर वह भी फटा पुराना होता है। शादी करने से पहले एक दो मौके ऐसे होते हैं जब वह घर से बाहर जाती है जैसे भगोरिया, इन्दल, दशहरा या फिर किसी की शादी देखने जाना या दिवाली देखने जाना होता है तभी नए कपड़े पहनती है।

समाज में महिलाओं की स्थिती

आदिवासी व ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक स्थिती बहुत ही दयनीय है। हमारे देश में सबसे बड़ी संख्या में निरक्षर, अशिक्षित और गरीब महिलाएं है। एक तरफ तो उनमें शिक्षा व जानकारी की कमी है। दूसरी तरफ जाति व पुरुष–प्रधान समाज के डर व दबाव के कारण महिलाएं हर तरह के अत्याचार से पीड़ित है। आदिवासी समाज में कही भी, किसी के लिए भी कानून व अधिकार लिखे हुए नहीं हैं। ज्यादातर निर्णय गाँवों में पटेल, पुजारा, तड़वी लेते है। चाहे शादी–ब्याह करवाना, दांपे और दहेज का लेन–देन करना, जमीन–जायदाद का बंटवारा करना, पारिवारिक लेन–देन के मामलों में भी वही निर्णय लेते है। महिलाओं को किसी भी तरह बोलने, सुनने, निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई महिला अपने अधिकार लेने के लिए कोशिश या हिम्मत करती भी है तो उसे न्याय लेने की शुरूआत से लेकर अन्त तक पारिवारिक, सामाजिक, मानसिक, राजनैतिक, पुलिस व कानून व्यवस्था के रास्ते में ही थक जाती है या उसे थका दिया जाता है। कुल मिलाकर समान अधिकार या समान अवसर महिलाओं को नहीं मिल रहा है। क्योंकि न्याय पाने के लिए जो सामाजिक व आर्थिक वातावरण उन्हें चाहिए वह भी उन्हें नहीं मिल रहा है।

महिलाओं की आर्थिक स्थिती

आर्थिक स्थिती का मतलब है महिलाओं के पास पैसा, जमीन, जायदाद की स्थिती ज्यादातर गाँवों में महिलाओं को अपने माता–पिता के घर में कुछ भी नहीं मिलता। उदाहरण के लिए एक भाई और बहन है तो भाई को ही सारी जमीन–जायदाद मिलती है और बहन को कुछ भी नहीं दिया जाता है। शादी के बाद भी पति की जमीन–जायदाद, घर–बार, खेती–बाड़ी, धन दौलत, सोना–चाँदी, लेन–देन आदि पर पत्नी का कोई अधिकार नहीं होता है। अगर महिला के बेटे होगें तो बेटों को यह सभी मिलता है नहीं तो उसे कुछ भी नहीं देते है। महिला को शादी में मिले उपहार, उसके माता–पिता द्वारा दी गई चाँदी, सामान व पैसा ले लेते हैं। महिला के पति व ससुराल वाले उसकी हर चीज पर अपना अधिकार समझते हैं। महिला को मजदूरी भी कम मिलती है। वह चाहे घर में हो या खेत में सबसे ज्यादा काम करती हैं, लेकिन जब लेन–देन करना होता तब उसे कुछ भी पता नहीं होता क्योंकि खेती–बाड़ी, जमीन जायदाद का मालिक तो आदमी ही होता है। बहुत सी महिलाएं मजदूरी करके पैसे लाती है तो उनके घर के आदमी वह भी उनसे ले लेते है। चाँदी के गहने भी कब उसका भाई, पिता, पति या ससुर उससे लेकर कहीं गिरवी रखकर के दारू, और झगड़े के लिए भी बेच देते हैं और उसे पता भी नहीं चलता। अगर किसी महिला के पति की मौत अचानक अपनी जमीन, जायदाद, घर–बार, गहने आदि का बंटवारा किए बिना हो जाती है तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है क्योंकि ऐसा होने पर परिवार के पुरूष व रिश्तेदार कई बार उसके साथ बहुत अन्याय करते हैं। कभी–कभी तो उसे घर से भी निकाल देते हैं।

राजनीति में महिलाओं की स्थिती

हमारे देश में महिलाओं को राजनीति में आने का अधिकार पुरूषों के समान है। पंचायतों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया है लेकिन फिर भी महिलाओं की हालत उतनी नहीं सुधरी जितनी सुधरनी चाहिए। राजनीति में भी वही महिलाएं आगे बढ़ रही है जिनके पास पैसा हैं, धन–दौलत हैं, साधन हैं जिनके परिवार के पुरूष पहले से राजनेता है। भारत के संविधान में 73 और 74 वें संशोधन के अनुसार मध्यप्रदेश में जो महिलाएं पंच–सरपंच चुनकर आई उनके पति ही उनके नाम से पंची सरपंची करते हैं। पुरूष अपने आपको सरपंच मानता है वही सारे निर्णय लेता है व काम करता हैं। अभी भी बहुत सी महिला कहने के लिए गाँव की सरपंच सिर्फ नाम की है। वह घूघंट में रहती है। उन्हें तो किसी योजना व विकास के बारे में न ही कोई जानकारी होती है। वह घर से बाहर भी आती–जाती नहीं है। उसे तो यह भी बताना पड़ता है कि उसे कहाँ अगूंठा लगाना है या हस्ताक्षर करना है। महिला सरपंच का पति ही उसके सभी अधिकारों का फायदा उठाता है। कभी–कभी कई काम सरपंच के हस्ताक्षर के बिना नहीं हो सकते तभी वह अपनी सरपंच पत्नी को साथ लेकर जाता है। उसे समान

अधिकार और समान अवसर मिलने चाहिए लेकिन शिक्षा व जानकारियों की कमी और सामाजिक बंधनों के कारण वह बहुत पीछे है।

धर्मों में महिलाओं की स्थिती

भारत देश में अनेक धर्म हैं जैसे हिन्दु, इस्लाम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी, बहाई आदि। वास्तव में धार्मिक नेता भी पुरुष ही है। कुछ लोग भारतीय संस्कृति और धर्म को ठीक प्रकार से समझे बिना महिलाओं को पुरुषों से कम मानते हैं, जिससे महिलाएं धर्म के महत्व नहीं जान पाती और वह भी अपने आपको पुरूष से नीचा मानती है। शादी व मृत्यु से जुड़े सभी संस्कार ज्यादातर पुरुष ही करते है वही धार्मिक संस्थाओं के मुखिया होते है। बहाई धर्म में महिलाएं शादी व मृत्यु के कार्यक्रमों का संचालन करती है क्योंकि इस धर्म में महिला–पुरुष समानता को प्राथमिकता दी गई है।

समान अधिकार समान अवसर से सभी की प्रगति

परिवार में समान अधिकार और समान अवसर सभी को मिलेगा तो ही सबकी प्रगति होगी। इसके लिए उन्हें हर स्तर पर समानता लानी होगी जैसे पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक समान रूप से अधिकार व अवसर मिलने चाहिए। महिलाओं को अधिकार, सुविधाएं, शिक्षा, नौकरी पुरुषों के समान मिलने चाहिए। बहाई लेखों के अनुसार "ईश्वर की नजर में महिला और पुरुष दोनों समान है और सदा समान रहेंगे। ईश्वर ने महिला की संरचना पुरुष के लिए और पुरुष की संरचना महिला के लिए की है।" इसका मतलब यह है कि दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया गया है जिससे वे दोनों एक साथ मिलकर अपना और अपने परिवार का विकास कर सकें।

पारिवारिक स्तर

- ➩परिवार में महिला को पुरुषों के समान मान–सम्मान, इज्जत मिलना जरूरी है।
- ➩महिलाओं को पुरुषों के समान षिक्षित होना चाहिए।
- ➩महिला–पुरूष को हर काम मिलकर परामर्श करके निर्णय करना जरूरी है।
- ➩घर के हर काम में समान रूप से न्याय मिलना चाहिए।
- ➩बीमार होने पर पुरुष की तरह महिला का भी इलाज करवाना जरूरी है।
- ➩आगे बढ़ने, नौकरी या काम करने के दोनों को समान अवसर मिलने जरूरी है।
- ➩महिलाओं की भावनाओं को समझना और उन्हें सम्मान देना जरूरी है।
- ➩अनुशासन को लेकर बेटे–बेटी के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए।

सामाजिक स्तर

- ➩दोनों को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार मिलना जरूरी है।
- ➩महिला की योग्यता व क्षमताओं के विकास में सहयोग करना जरूरी है।
- ➩समाज के विकास के लिए महिला–पुरुष दोनों का समान योगदान जरूरी है।
- ➩समाज में महिला–पुरूष दोनों को समान रूप से न्याय मिलना जरूरी है।

आर्थिक स्तर

- ➩महिला–पुरुष को जमीन–जायदाद, चाँदी, सामान लेने का अधिकार है।
- ➩पैसों के लेन–देन का निर्णय महिला–पुरूष दोनों को मिलकर करना जरूरी है।
- ➩महिला को अपना पैसा बैंक या अपने पास रखने का अधिकार है।

आध्यात्मिक एवं नैतिक स्तर

- ➩आध्यात्मिक विकास के लिए लड़के–लड़कियों को समान अधिकार है।
- ➩एकता, न्याय, सहयोग, मित्रता, सद्भावना की षिक्षा दोनों को एक जैसी देनी जरूरी है।

कानूनी स्तर पर

- ➩दोनों के लिए कानूनी समान अणिकार है।
- ➩घरों में महिलाओं एवं लड़कियों को हिंसा को सहने के बजाय उसके लिए आवाज उठानी चाहिए।
- ➩हिंसा किसी भी रूप में हो वह माफी के योग्य नहीं होती इसलिए उसे कभी भी मान्य नहीं किया जाना चाहिए।

समान अधिकार और समान अवसर के लिए जरूरी है जागरूकता

महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना जरूरी हैं। महिलाएं अपनी मुसीबतों का सामना तभी कर सकेंगी जब वे जागरूक होगी और अपने आस–पास होने वाली घटनाओं के बारे मे जानती होंगी। जिस तरह एक दीप से हजारों दीप जलाएं जा सकते हैं, उसी तरह एक जागरूक महिला पूरे समाज की महिलाओं को जागरूक कर सकती है। जब महिलाएं जागरूक हो जाएंगी, तो अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को सहन नहीं करेगी। हर मुसीबत से निपटने की कोशिश करेंगी। जागरूक महिला हमेशा अपने ज्ञान व अनुभव का उपयोग अपने घर–परिवार, समाज के विकास के लिए करती है। जागरूक होने के लिए हर महिला के दिमाग में कब, कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, कितना आदि प्रश्न और उनके उत्तर होने चाहिए। जब महिलाओं में प्रश्नों के उत्तर जानने की इच्छा होगी तो ही वह आगे बढ़ सकेंगी। जागरूक महिलाएं सरकार द्वारा चलाए जाने वाले स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं, सुविधाओं और जानकारियों का लाभ परिवार को स्वस्थ रखने में कर सकती है। साथ ही घर व आस–पास की साफ–सफाई, साफ खाना, साफ पानी आदि का ध्यान रखकर उल्टी, दस्त, सर्दी–खाँसी, फोड़े–फुंसी, पेट दर्द, सिर दर्द आदि से बचा सकती है। हमारे देश में गर्भावस्था और प्रसव के समय मरने वाली महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। जैसे

गर्भावस्था के समय खून की कमी, पीलिया शरीर में जहर फैलने और प्रसव के समय ज्यादा खून बह जाने के कारण मरने वाली महिलाओं को बचा सकती है। अगर महिला स्वस्थ और शिक्षित होंगी तो वह अपने बच्चे को समय पर पूरे टीके लगवाकर जानलेवा बीमारियाँ जैसे टिटनेस, खसरा, गलघोटू, कालीखाँसी, पोलियो, निमोनिया से बचा सकती है। जागरूक होकर ही महिलाएं अपने अधिकार व अवसर ले पाएगी।

समान अधिकार के लिए योग्यताएं और क्षमताएं

समान अधिकार के लिए महिलाओं में कुछ योग्यताएं व क्षमताएं होना जरूरी है। हर काम के लिए अनुभव की जरूरत होती है। योग्यता और अनुभव बढ़ाने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण व कौशल कुछ क्षमताएं:–जैसे समझ से काम लेना, सामान्य–ज्ञान, आत्मविश्वास, अपनी बात कहने का साहस होना तथा स्वतंत्र निर्णय लेना, मेहनती होना, उद्देश्य के प्रति दृढ़ संकल्पित होना, पहल करना, भावनात्मक संतुलन बनाए रखना, कर्तव्य का पालन करना, जिम्मेवारी लेना, प्रभावशाली होना, कठिनाईयों और चुनौतियों का सामना करना जरूरी है। बहुत–सी महिलाएं ऐसी होती है जिन्हें अपने आप पर विश्वास नहीं होता है कि वे अकेले कोई काम आपने आप में किसी की मदद से कर सकती हैं। उन्हें अपने काम में विश्वास करना होगा। विष्वास शिक्षा, जानकारी, उम्र व काम के अनुभव के साथ–साथ बढ़ता है। आगे बढ़ना है तो अपनी योग्यताओं व क्षमताओं को बढ़ाना होगा। योग्यता के लिए जो शिक्षा और अनुभव लेना चाहिए। शिक्षा से ही सामाजिक, मानसिक, आर्थिक व आध्यात्मिक विकास होता है। शिक्षा भविष्य और समाज के संपूर्ण विकास का प्रमुख आधार है। शिक्षा हमारे जीवन की नींव है जिससे हम एक अच्छी दुनिया बनाने की कोशिश कर सकते हैं। पढ़े–लिखे लोग अपनी पसंद से अपने काम का चुनाव करने और अपना जीवन जीने के योग्य हो जाते हैं जिससे उनके साथ–साथ दूसरों को भी फायदा होता है। आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ने व अपने अधिकारों के लिए दुनिया के सभी देश शिक्षा पर ही निर्भर हैं। महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए समान अधिकार व शिक्षा के समान अवसर मिलेंगे तो एक शिक्षित समाज बनेगा। काम करने की इच्छा व लगन भी बहुत जरूरी है। अगर कोई काम गलत हो जाए तो उस काम को अधूरा नहीं छोड़ें, बल्कि विश्वास के साथ फिर से करें। कोई भी काम कठिन नहीं होता। बस एक बार मन में पक्का करने से सफलता जरूर मिलती है।

संस्थान के समाचार

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

बरली संस्थान में 8 मार्च 2010 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस' मनाया। इसमें मध्य प्रदेश के आलीराजपुर, खरगोन, देवास, धार, खंडवा और महाराष्ट्र के ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों से 46 गाँवों की प्रशिक्षणार्थी और संस्थान के स्टाफ ने भाग लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि ब्रिटिश उप दूतावास, मुंबई के सलाहकारो की प्रमुख सुश्री केथी हील ने बरली संस्थान में दिए जा रहे प्रशिक्षण की प्रशंसा करते हुए कहा कि संस्थान में महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए दिया जा रहा प्रशिक्षण बहुत ही अच्छा है जो उनके जीवन के लिए जरूरी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सलाहकार सहायता विभाग की प्रमुख सुश्री डेज़ी शिनॉय करते हुए ने कहा, "मैंने ऐसी संस्था अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। "महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि स्त्री–पुरुष समान है परन्तु महिला एक कदम आगे है क्योंकि वह माँ बनती है। यह अधिकार और वरदान ईश्वर ने केवल महिला को ही दिया है।

मुख्य अतिथि सुश्री केथी हील

संस्थान की निदेशिका डॉ. (श्रीमती) जनक पलटा मगिलिगन ने अतिथियों का स्वागत किया और संस्थान का परिचय देते हुए कहा कि पिछले 25 सालों में पाँच सौ गाँवों की लगभग पाँच हजार से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संस्थान में तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जाती है। जिसके माध्यम से महिलाओ को सशक्त करते हैं ताकि वह वापस जाकर अपने परिवार व गाँवों में 'हिंसामुक्त' समाज बना सके। उन्होंने इस साल के मुख्य विषय 'समान अधिकार, समान अवसर–सभी की प्रगति' पर कहा कि महिलाओं का सश्क्त होना बहुत जरूरी है क्योंकि आज भी हमारे देश में महिलाओ की स्थिती बहुत खराब है इसलिए महिलाओं को जागरूक होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा।

अध्यक्षता करते हुए सुश्री डेजी शिनॉय

विशिष्ट अतिथी श्री जगदीश पटेल जिला समन्वयक, जन अभियान परिषद् इंदौर ने कहा बरली संस्थान एक ऐसी संस्थान है जहाँ इंसान का निर्माण किया जाता है। यहाँ महिलाओं को सभी तरह की शिक्षा देकर सशक्त किया जाता है और महिलाएं अपने गाँव जाकर परिवार व समाज को शिक्षा

देती हैं।
केनेडा से आई स्वयंसेविका सुश्री कारला जॉनसन ने कहा कि संस्थान में बहुत कुछ सीखने को मिला और इन महिलाओं के साथ रहकर सेवा देते हुए महिला सशक्तिकरण के बारे में बहुत कुछ सीखा।
प्रशिक्षणार्थियों ने तीन दिवसीय कार्यशाला के अनुभव सुनाए। खरगोन की संजू धार्वे ने कहा कि महिला को अपने आपको कमजोर नहीं मानना चाहिए क्योंकि उसमें आगे बढ़ने की क्षमता है। धार जिले की हेमा कनेल ने कहा कि महिलाओं के साथ होने वाले हिंसा, कानूनों के बारे में उन्हें जानकारी होना चाहिए तभी महिलाएं हिंसा को सहन नहीं करेंगी। खरगोन की रमा तोमर ने कहा कि हमारे गाँव में लड़कियों के मर्जी के बिना शादी कर देते हैं इससे लड़कियों को जीवन भर तकलीफ उठानी पड़ती है। धार की मेजल भाबर ने कहा महिलाओं को पुरूषों के समान मज़दूरी मिलनी चाहिए क्योंकि महिलाएं भी पुरूषों के बराबर काम करती है। आलीराजपुर की गुरी, सुरली व साथी बहनों ने भिलाली और निमाड़ी गीत सुनाए।
कार्यशाला के उद्घाटन की मुख्य अतिथी डॉ. (श्रीमती) कुमुद भागवत् वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ ने श्रीमती जनक मगिलिगन पर लिखी यह कविता सुनाई:–

"हर आंगन में, घर में, एक एहसास है वो,
हर मुश्किल की घड़ी में, एक सबल है वो,
रूप अनेक, रिश्ते अनेक नाम सिर्फ एक नारी है वो,
आज की कामकाजी महिला समाज सेविका है वो।
जिन्दगी में दुःख को हटाओं, खुशियों को संभालकर रखो,
दोस्तों के पास रहो, दुश्मनों से दूर रहो,
हृदय को साफ रखो, मन को शुद्ध रखो,
शरीर को स्वस्थ रखो, हमेशा मुस्कारते रहो,
अच्छी बातों को जीवन में उतारो, गलत बातों से दूर रहो।"

डॉक्टर भागवत् ने कहा महिलाओ को प्रशिक्षण के माध्यम से जो शिक्षा दी जा रही उससे उनका स्वयं का, परिवार का और गाँव का विकास होगा।
डॉ. (श्रीमती) मंजुला तिवारी, कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला इंदौर ने कहा कि "इस संस्थान में महिलाओं की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण दिया जाता हैं यह बहुत ही अच्छा है। यही महिलाएं अपने परिवार, गाँव और देश का विकास करेंगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को घरेलू हिंसा, यौन हिंसा और सामाजिक हिंसा से बचाव करने की जानकारी होगी तो वह स्वंय अपना बचाव कर सकती है और आसपास होने वाली हिंसा के बारे में दूसरों को भी बता सकती है।"
डॉ. नीरजा पौराणिक स्त्री रोग विशेषज्ञ ने कहा महिलाओं को सशक्त होना चाहिए ताकि वह आसपास होने वाली घटनाएं और किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ कानूनी सहायता ले सकती है।
कार्यशाला में लेखिका और पत्रकार, श्रीमती निशा चतुर्वेदी, स्टाफ एकेडमिक कॉलेज की डॉ. नम्रता शर्मा, श्री राजेन्द्र व्यास, कार्यक्रम अधिकारी, फेमिली प्लानिंग एसोशिएशन ऑफ इंडिया, इंदौर, बरली संस्थान की कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती ढेडी बागदरे, सुश्री विजयश्री, प्रशिक्षिका श्रीमती तारू जमरे और श्रीमती शर्मिला गौड़ ने प्रशिक्षणार्थियों को महिला–पुरूष समानता, महिला के कानून व अधिकार, महिला हिंसा, महिलाओं का स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, एच.आई.वी. /एड्स और सभी के लिए समान शिक्षा आदि विषयों की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती ढेडी बागदरे व आभार प्रदर्शन प्रबंधक श्री जिम्मी मगिलिगन ने किया।
डॉ. लीना भागवत स्त्री रोग ने निःशुल्क सभी प्रशिक्षणार्थियों और स्टाफ के ब्लॉड ग्रुप और हिमोग्लोबिन का टेस्ट करवाया और सभी को ब्लॉड ग्रुप व हिमोग्लोबिन के रिर्पोट कार्ड भी दिया।

महिला दिवस के अन्य कार्यक्रमों में भागीदारी श्रीमती ढेडी बागदरे को सम्मान

- लोकमान्य नगर स्थित, इंदौर महानगर महिला जनहित संगठन ने 7 मार्च को एक परिचर्चा आयोजित की। जिसमें महिलाओं के अधिकार, कानून और घरेलू हिंसा पर जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बरली संस्थान की निदेशिका डॉ. (श्रीमती) जनक मगिलिगन ने अपने उद्बोधन में कहा कि स्त्री–पुरूष समानता के लिए जरूरी हैं कि परिवार में लड़का–लड़की दोनों को समान शिक्षा दी जाए। समाज

को सुधारने के लिए केवल लड़कियों को ही संस्कार, आदर, दया, प्रेमभाव सिखाना जरूरी नहीं हैं बल्कि

दीप प्रज्वलित करते हुए संस्थान की निदेषिका श्रीमती जनक पलटा मगिलिगन

लड़कियों और लड़कों को भी अच्छा बेटा, पति, पिता और दामाद बनने की शिक्षा दी जानी चाहिए तभी समाज का विकास होगा। इस अवसर पर संस्थान की कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती ढेडी बागदरे को संस्थान से स्वयं सीखकर दूसरों को सिखाने के कार्य के लिए सम्मानित किया गया।

- विश्व बंधुत्व आन्दोलन ने 7 मार्च को डॉ. (श्रीमती) जनक पलटा मगिलिगन को विशेष अतिथी के रूप में आमंत्रित किया गया। हर साल महिला दिवस पर यह संस्थान ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान देने वाली एक महिला समाज सेविका को सम्मान करता है। इस साल श्रम शक्ति महिला सेवा संगठन सागर की निदेशिका श्रीमती रेखा राजपूत को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा "समाज सेवा के लिए सम्मान और पुरस्कार से लोग, समाज सेवा करने के लिए समाज के प्रति और जिम्मेदार बनते है।"
- म.प्र. पुलिस जिला इंदौर एवं आपकी कचहरी आपके द्वार नेटवर्क इंदौर रीजन द्वारा 9 मार्च को संयुक्त रूप से परिचर्चा का आयोजन किया गया जिसमें महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों के संबंध में कानूनी प्रावधान एवं बेहतर समाज की जिम्मेदारी था। संयुक्त पुलिस अधिक्षक श्री विनीत कपूर ने बताया कि पुलिस ने एक सलाहकार समिती बनाई हैं जिसमें संस्थान की निदेशिका को सलाहकार नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में श्रीमती मगिलिगन ने कहा कि पुलिस व महिला सलाहकारों के काम व जिम्मेदारियाँ स्पष्ट होना चाहिए। पुलिस के साथ काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस को लेनी होंगी।

विक्रमादित्य महानाट्य देखने गए

इंदौर के महापौर श्री कृष्णमुरारी मोघे ने 20 मार्च को बरली संस्थान के प्रषिक्षणार्थियों व स्टाफ के लिए 100 निःशुल्क पास भेजे। सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य देखने सभी गए। प्रशिक्षणार्थी देखकर बहुत खुश हुए क्योंकि इनमें से ज्यादातर प्रशिक्षणार्थी को पहली बार इस तरह का महानाट्य देखने का अवसर मिला। इस अवसर पर संस्थान की निदेशिका व प्रबंधक भी सभी के साथ रहे।

सहकारी शीतगृह संस्था राऊ में

सहकारी शीतगृह संस्था मर्यादित, राऊ में 28 मार्च को चवालिसवीं साधारण सभा और नवनिर्मित गोदामों के शुभांरभ कार्यक्रम में संस्थान की निदेशिका व प्रबंधक ने भाग लिया। यह सहकारी शीतगृह पिछले 20 साल से हर साल बरली संस्थान के परिसर में उपजे आलू साल भर निःशुल्क रखते है और समय–समय पर संस्थान में जरूरत के अनुसार वहाँ से आलू लाकर उपयोग में लेते है।

छत्तीसगढ़ के समाचार

बरली विस्तार केन्द्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

बरली विस्तार केन्द्र ग्राम अन्नपुर्णापारा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस' पर 6 मार्च 2010 को आरम्भ की गई दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में महिला–पुरूष समानता, महिलाओं के अधिकार, समाज विकास में महिलाओं की भागीदारी, महिला सशक्तिकरण, शांति के लिए महिलाओं की एकजुटता, महिला हिंसा व कानून, बाल विवाह, महिला स्वास्थ्य व शिक्षा आदि विषयों की जानकारी दी गई।

केन्द्र से पूर्व प्रशिक्षित 40 महिलाओं ने 8 समूह बनाएं जो अपने गाँव में साफ–सफाई, बच्चों का टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की जाँच व टीकाकरण, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना आदि काम करेंगे। यह महिलाएं हर तीन महीने में विस्तार केन्द्र में एकत्रित होकर अपने काम का मूल्यांकान करेंगी।

श्री धुलजी रावल ने कहा "महिलाओं के उत्थान के लिए ईश्वर की नजर में महिला–पुरूष दोनों समान है और समान रहेंगे। इसी से परिवार, गाँव, समाज और देश का विकास होगा।"

प्रशिक्षिका श्रीमती ममता रावल ने कहा "महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को रोकना बहुत जरूरी है और महिलाओं को जानकारी होना चाहिए जिससे वह अपने परिवार, गाँव में दूसरों को जानकारी देंगी।" कु. माहेश्वरी ने कहा "महिलाएं कमजोर नहीं है उन्हें अपनी शक्ति को पहचान कर अपने अधिकारों के लिए आगे आना चाहिए।"

अन्नपुर्णापारा में माता–पिता की बैठक

बरली विस्तार केन्द्र ग्राम अन्नपुर्णापारा में 25 मार्च 2010 को माता–पिता व परिवारजनों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में 62 लोग उपस्थित थे। मुख्य अतिथि डॉ. ओयेस एलियास ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं के लिए जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है यह उनके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। विस्तार केन्द्र से जो महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर रही उन्हें वह अपने परिवार व आसपास के लोगों को बाँटना चाहिए। श्री धुलजी रावल ने कहा "ईश्वर ने हमें आध्यात्मिक क्षमताएं दी है जिसे हम अच्छे गुणों में ग्रहण कर सकते हैं।

महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी हैं।" विशेष अतिथि पार्षद श्री विजय यादव ने कहा "मैं संस्थान

को हार्दिक बधाई देता हूँ कि हमारे गाँव की बहुएं व बेटियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास से उनके परिवार में सुधार होगा।" श्री मोतीराम यादव ने कहा "शिक्षा से ही हम आगे बढ़ते हैं इसलिए सभी के लिए शिक्षा बहुत ही जरूरी है।" प्रशिक्षिका श्रीमती ममता रावल ने विस्तार केन्द्र का परिचय दिया और कहा कि यहां पर इन महिलाओं को प्रशिक्षण के माध्यम से महिला–पुरूष समानता, महिलाओं के अधिकार व कानून की जानकारी दी जाती है जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। कुछ माता–पिता ने भी अपने विचार रखें, जो इस प्रकार हैं। "आज मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी ने पूर्ण विश्वास के साथ जो सीखा वहाँ स्भी को बता रही है।" "प्रशिक्षण से मेरी बेटी के व्यवहार में बहुत बदलाव आया।" "मेरी बेटी ने जो स्वास्थ्य के बारे में सीखा उससे वह अपने परिवार को स्वस्थ रख सकती है।" केन्द्र प्रभारी मन्ना शर्मा ने एच.आई.वी.एड्स के पोस्टरों और बरली संस्थान से प्रकाशित पुस्तिका "आओ स्वास्थ्य पढ़ाना सीखे" की मदद से जानकारी दी।" कार्यक्रम का संचालन सुश्री सुरेखा मरकाम व आभार प्रदर्शन प्रशिक्षिका श्रीमती ममता रावल ने किया।

देश / विदेश से संस्थान देखने आए

•अमेरिका के टेक्साज विष्वविद्यालय की विभाग अध्यक्षा श्रीमती वेन्डी जेपसन 11 मार्च को बरली संस्थान में आई और उन्होंने कहा, "सामुदायिक विकास और ग्रामीण महिलाओं विकास के लिए जिम्मी और जनक द्वारा किया जा रहा कार्य अत्यंत सराहनीय है।"

•सुश्री अभिनिती गोयल दिल्ली से 11 मार्च को संस्थान की गतिविधियों को देखकर कहा "महिलाएं जो यहाँ सीखती हैं और विकास करती हैं उन्हें ईश्वर का आर्शिवाद मिलें।"

•हर्षवर्धन लेबोरेटरी, इंदौर से सुश्री शिवानी लोढ़ 13 मार्च को संस्थान देखकर कहा "यहाँ आना मेरे जीवन का सबसे अच्छा अनुभव रहा और मैं यहाँ वापिस आना चाहूँगी।" "यहाँ की गतिविधियाँ सचमुच बहुत अच्छी है। यहाँ नई बातें सीखने को मिली।"

•इन्दौर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 17 मार्च को 34 छात्रों का समूह संस्थान में आए। उन्हें निदेशिका और प्रबंधक ने कम्प्यूटर से फोटो दिखाकर संस्थान की जानकारी दी। इसके

बाद सभी ने यहाँ पर चल रहे सभी गतिविधियों को देखा और कहा "यह एक अनूठा संस्थान है जो सतत विकास के कार्य कर रहा है यह ग्रामीण महिलाओं के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत है। संस्थान में सूर्य की किरणों का सौर ऊर्जा के माध्यम से सही उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने संस्थान की कामयाबी के लिए शुभकामनाएँ दी।"

•राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान से 20 मार्च को क्षेत्रिय निदेशक डॉ. पी. कृष्णमूर्ति और उनके साथ श्रीमती प्रीतम सन्धु वहाँ की भूतपूर्व निदेशक ने कहा "संस्थान की गतिविधियों को देखकर कहा "सभी जो सेवा के क्षेत्र में काम कर रहें है उन्हें यहाँ पर जरूर आना चाहिए।"

•आयरलैंड से 25 मार्च को श्री डार्विन मैकनामारा और श्री कोलम मोयनिहन ने कहा "यहाँ उत्कृष्ट कार्य हो रहा है। संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्य बहुत ही प्रभावशाली है और

भविष्य के लिए शुभकामनाएँ के साथ उन्होंने संस्थान को आर्थिक सहयोग राषि भेंट की।"

माता–पिता की बैठक

बरली संस्थान में 11–12 मार्च को 98 वें सत्र में प्रशिक्षण ले रही प्रशिक्षणार्थियों के माता–पिता की बैठक में मध्यप्रदेश के धार, आलीराजपुर, खरगोन, खण्डवा, देवास और महाराष्ट्र के अमरावती जिले के 46 गाँवों से 133 लोगों ने भाग लिया। संस्थान की निदेशिका व प्रबंधक श्री जिम्मी मगिलिगन ने सभी का स्वागत किया। उन्होंने माता–पिता को संस्थान में आने का उद्देश्य बताया और सोलर कुकर के बारे में जानकारी दी। माता–पिता ने सभी विषयों जैसे स्वास्थ्य, साक्षरता, मेरा अपना और मेरे समुदाय का विकास और कटाई–सिलाई पढ़ते हुए देखा। प्रशिक्षणार्थियों ने अपने हाथों से सिले कपड़े, लिखी कापियाँ, फाईले और ड्राफ्ट अपने माता–पिता को दिखाए। माता–पिता ने अपनी बेटियों के बदलाव, उत्साह और लगन को देखकर बहुत खुश हुए और अपने अनुभव सुनाए जो इस प्रकार हैं: खरगोन जिले की अनिता के पिता ने कहा "मेरी बेटी ने यहाँ आकर एकता, न्याय, सहयोग, प्रार्थना, तथा साफ–सफाई से रहना सीख गई है। यह देखकर बहुत खुशी हुई।" रमा के भाई ने कहा "मेरी बहन का प्रशिक्षण से विकास हो रहा है और इससे वह अपने परिवार को भी अच्छी तरह से संभाल पाएंगी।" धार की रेखा के भाई ने कहा "मेरी बहन यहाँ पर जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है वह बहुत अच्छा है। मुझे इस संस्थान के नियम, अनुशासन से सभी प्रेम से रहती है यह देखकर बहुत अच्छा लगा है।" सीमा के पिता ने कहा "मेरी बेटी निरक्षर आई थी यहाँ पर पढ़ना–लिखना सीख गई और उसने हिन्दी बोलना, प्रार्थना करना, प्रेम से मिलजुलकर एकता से रहना सीख लिया है।" आलीराजपुर जिले की चेकली के पिता ने कहा "मेरी बेटी ने प्रशिक्षण में साक्षरता, स्वास्थ्य, कटाई–सिलाई तथा सोलर कुकर पर खाना बनाना भी सीखा है।" देवास जिले की मालती के पिता ने कहा "मेरी बेटी पहले बहुत गुस्सा करती थी लेकिन अब इसके स्वभाव में बहुत बदलाव आ रहा है।" महाराष्ट्र की पारू के भाई ने कहा "संस्थान की निदेशिका सभी के लिए नारियल के समान है जो कड़क है, नियम व अनुशासन के मामले में, बहुत कठोर लेकिन उनके स्वभाव व व्यवहार में बहुत विनम्रता है।" कुछ प्रशिक्षणार्थियों ने अपने अनुभव सुनाए। खरगोन की किरण ने कहा "मेरे पिताजी बहुत दारू पीते हैं, मैं प्रशिक्षण के बाद घर जाकर दारू पीने से होने वाली बीमारियों और नुकसानों के बारे में बताऊँगी।" धार की कोमल ने कहा "मैंने प्रशिक्षण में महिला हिंसा के बारे जाना जो मैं गाँव में जाकर दुसरों को बताऊँगी।"

प्रिंटेड मैटर–बुक पोस्ट

पता

____

____

____

____

इस पत्रिका के प्रकाषन में सहयोगी
श्रीमती ढेडी व श्री जिम्मी मगिलिगन

हमें पत्र लिखें

"बरली की दुनिया" के पाठकों से विनम्र निवेदन है कि आप हमें नीचे लिखे पते पर पत्र लिखें कि आपको नियमित "बरली की दुनिया" मिल रही है या नहीं।

संपादक "बरली की दुनिया"
बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान
180 भमोरी, न्यू देवास रोड, इंदौर 452010 (म.प्र.)

रजि. न. MPHIN / 2007 / 22179

बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान की ओर से बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान, 180 भमोरी, न्यू देवास रोड़, इन्दौर – 452010 द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित
मुद्रण स्थल : राजा ऑफसेट, 863 / 9,नेहरूनगर, इन्दौर द्वारा मुद्रित **संपादक : डॉ. (श्रीमती) जनक पलटा मगिलिगन**